न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/170/2024 रजू दिनांकः 10.12.2024 रजि0 न0 2024/284

अपीलार्थीः–

श्री हरिप्रसाद दिनकर निवासी जे.पी नगर कॉलोनी, बेलाका दिल्ली रोड़ अलवर, जिला अलवर–301410 (राजस्थान)

प्रत्यर्थीः–

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय), जिला अलवर (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

––:: निर्णय ::––

दिनांकः– 23.12.2024

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम,2005) की धारा–6(1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 15.10.2024 प्रस्तुत कर पत्र में वर्णित तथ्यों पर बिन्दुवार सूचना चाही गई, जो उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील प्रार्थनापत्र न्यायालय को पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 23.12.2024 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नही आया एवं प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रत्यर्थी ने पत्रांक लो.सू.अ./प्रथम अपील/2024/2376 दिनांक 18.12. 2024 के द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि अपील प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा आवेदन दिनांक 15.10.2024 के संबंध मे किसी प्रकार की सूचना नहीं मिलने/विनिश्चय से अवगत नही कराये जाने बाबत सूचित किया है। उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी द्वारा RTI Online Portal आवेदन संख्या 293398717254681 दिनांक 15.10..2024 के माध्यम से उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार लक्ष्णगढ (अलवर) से संबंधित/नियंत्रणाधीन जाति प्रमाण–पत्र संबंधी जांच कार्यवाही किए जाने बाबत अनुरोध–स्वरूप सूचना चाही गई थी जो कि अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) एवं धारा 7(9), साथ ही भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 10.07.2008, राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 02.02.2009 एवं परिपत्र दिनांक 16.12.2011 के आलोक में देय नहीं होने के कारण RTI Online Portal Despatch No. 9474363342 दिनांक 18.12.2024 के माध्यम से अधिनियम, 2005 के विधिक प्रावधानों के आलोक में विनिश्चय किया जाकर आवेदन खारिज कर संसूचित किया जा चुका है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब के अवलोकन एवं अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना के संबध में ऑनलाईन पोर्टल पत्र सं0 9474363342 दिनांक 18.12.2024 के माध्यम से सूचना पुनः प्रेषित की जा चुकी है तथापि प्रत्यर्थी द्वारा प्रथम अपील के संबंध में जरिये प्रतिलिपि कमांक 2377 दिनांक 18.12.2024 के द्वारा उक्त प्रकरण में अधिनियम, 2005 के विधिक प्रावधानों के आलोक में विनिश्चय कर सूचना पुनः प्रेषित की जा चुकि है। अपील अपीलांट अस्वीकार किये जाने योग्य है।
6. अतः उक्त आलोक में अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 23.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)